2/6/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय शिविर में प्रस्तुत हुई। अधि० प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान वाद चलाना नहीं चाहते हैं राजस्व लोक अदालत की भावना से खारिज करवाना चाहते हैं। अतः अधि० प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल फैसल शुमार हो।

पक्षकार अधिवक्ता

दांतारामगढ़